R 552-[illegible]/03

-1 APR 2003

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

/2003 प्र0क्र0 /2003 पुनरीक्षण

कटेश्वर दयाल पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल मिश्रा
निवासी बनखंडेश्वर रोड, भिण्ड तहसील
एवं जिला भिण्ड ------- आवेदक

विरुद्ध

1- सुरेशबाबू
2- नरेशबाबू } पुत्रगण श्यामनारायण ब्राह्मण
निवासीगण पुरानी बस्ती, भिण्ड तहसील एवं
जिला भिण्ड ------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/2001-2002 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 31-1-2003 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के विवादित आदेश अवैध, मनमाने एवं विचाराधिकारशून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन विचारयोग्य नहीं था तथा समयबाधित भी था। विधि एवं प्रक्रिया का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि समयावधि के बिन्दु का सर्वप्रथम तथा स्पष्ट आदेश द्वारा निराकरण किया जाना चाहिये। अपर कलेक्टर ने समयावधि के बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं दिया यह मानते हुये भी अपर आयुक्त ने ऐसे आदेश को स्थिर रखने में गंभीर वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक भूल की है।

--- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 552–तीन/03 जिला –भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.02.2016	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक के पुत्र अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदक बटेश्वर दयाल की मृत्यु दिनांक 14.7.2009 को हो गई है । इनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है । उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदक के विधिक वारिसान निम्न प्रकार है :– 1– श्रीमती इन्द्राणी मिश्रा पत्नी स्व0 बटेश्वर दयाल मिश्रा 2– राजेन्द्र प्रसाद 3– अरबिन्द कुमार 4– दिलीप 5– धीरज पुत्रगण स्व0 बटेश्वर दयाल मिश्रा सभी मूल निवासीगण –32 वन खण्डेश्वर रोड भिण्ड म0प्र0 6– श्रीमती शशिबाला त्रिवेदी पत्नि स्व0 श्री एच.एन. त्रिवेदी निवासी पन्ना नाका सतई रोड छतरपुर म0प्र0 7– श्रीमती सुमन मिश्रा पत्नी श्री अरबिन्द मिश्रा निवासी	

इनकम टैक्स कॉलोनी भोपाल म0प्र0

8– श्रीमती मीना अवस्थी पत्नी श्री विश्वेश्वरदत्त अवस्थी निवासी द्वारिका कॉलोनी नई दिल्ली ।

अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा स्व0 बटेश्वर के विधिक वारिसान के रूप में पढा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग माना जावेगा।

सदस्य